भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 678
उत्तर देने की तारीख - 26 जून, 2019

मोबाइल टावरो के लिए विकिरण संबंधी मानदंड

678. श्रीमति गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मोबाइल टावर हैं और इसके लिए विकिरण संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार सेवाप्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उक्त मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उन पर सेवाप्रदाता-वार कितना जुर्माना लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में इन मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना दुगुना कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने दोषी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) मोबाइल टॉवरों की संख्या का लाइसेंसी सेवा क्षेत्र-वार (एलएसए-वार) विवरण अनुबंध-। में दिया गया है । भारत में विभिन्न मोबाइल टॉवरों पर लगाए गए बीटीएस के लिए निर्धारित मौजूदा ईएमएफ उत्सर्जन का मानक इस प्रकार है:-

आवृतिका विस्तार	ई-फील्ड की क्षमता (वोल्ट/मीटर)	एच-फील्ड की क्षमता (एम्पीअर/मीटर)	शक्ति सघनता (वॉट/वर्ग मीटर)
400मेगाहर्ट्ज से 2000 मेगाहर्ट्ज	0.434 एफ$^{1/2}$	0.0011 एफ$^{1/2}$	एफ / 2000
2 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज	19.29	0.05	1

(एफ का अर्थ आवृति मेगाहर्ट्ज मैं)

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) के लाईसेंसी सेवा क्षेत्र-वार(एलएसए) विवरण को वास्तविक परीक्षण में निर्धारित ईएमएफ विकिरण सीमा से अधिक पाया गया था, जिसे अनुबंध-।। में दर्शाया गया है । विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वास्तविक परीक्षण में ईएमएफ

की विकिरण सीमा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने वाले बीटीएस पर लगाए गए अर्थ-दंड का दूरसंचार सेवा प्रदाता-वार विवरण अनुबंध-।।। में दिया गया है ।

(ग) वास्तविक ईएमएफ मानकों के पालन न करने पर दिनांक 20.11.2013 को अर्थदंड की सीमा को प्रति बीटीएस 5 लाख रूपए से बढाकर 10 लाख रूपये प्रति बीटीएस कर दिया गया है । इसके अलावा साझा स्थल के मामले में यह तय किया गया कि दिनांक 29.03.2019 से दोषपूर्ण बीटीएस (ऐसे बीटीएस जिनका उत्सर्जन अनुपात/सूचकांक 1 से अधिक है) में प्रत्येक बीटीएस पर प्रति-मामला 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाए, यदि स्थल उक्त बीटीएस के योगदान को हटाने के बाद भी निर्धारित मानदंडों की अनुपालना नहीं करते पाए जाते हैं । तथापि यदि स्थल उस दोषपूर्ण बीटीएस की विकिरण को कम करने के बावजूद उसका अनुसरण नहीं करता है तो शेष सभी भागीदार बीटीएस पर एक्सपोजर अनुपात (20 लाख रू.xएक्सपोजर अनुपात) के आधार पर अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

(घ) उपर्युक्त वित्तीय अर्थदंड लगाने के अलावा यदि दोषपूर्ण टीएसपी द्वारा 30 दिनों के अंदर ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुसरण नहीं किया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रियानुसार उस टीएसपी को बंद करना अपेक्षित है ।

अनुबंध-I

लाईसेंसी सेवा क्षेत्र-वार (एलएसए) मोबाइल टॉवरों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	एल एस ए	मोबाइल टॉवरों की संख्या
1	आंध्रप्रदेश	43237
2	असम	12657
3	बिहार	39254
4	दिल्ली	26461
5	गुजरात	33212
6	हिमाचल प्रदेश	6739
7	हरियाणा	12747
8	जम्मू और कश्मीर	9489
9	कर्नाटक	35804
10	कोलकाता	12966
11	केरल	17360
12	मुम्बई	16421
13	महाराष्ट्र	42436
14	मध्य प्रदेश	41295
15	पूर्वोत्तर	8111
16	ओडिशा	17834
17	पंजाब	20243
18	राजस्थान	30159
19	तमिल नाडू	42977
20	उत्तर प्रदेश-पूर्वी	33603
21	उत्तर प्रदेश पश्चिमी	28974
22	पश्चिम बंगाल	22280
	कुल योग	554259

अनुबंध-।।

विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्षके दौरान वास्तविक परीक्षण में निर्धारित ईएमएफ विकिरण की सीमा से अधिक विकिरण पैदा करते पाए गए बेस ट्रांसीवर केन्द्रों (बीटीएस) की संख्या का लाईसेंसी सेवा क्षेत्र-वार (एलएसए-वार) विवरण

क्र.सं.	एलएसए का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(30.4.2019तक)
1	आंध्रप्रदेश	0	0	0	0
2	असम	0	0	0	0
3	बिहार	0	0	0	0
4	दिल्ली	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	9	0
9	कर्नाटक	29	42	20	0
10	केरल	0	0	0	0
11	कोलकाता	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
13	महाराष्ट्र	10	0	0	0
14	मुम्बई	0	0	0	0
15	पूर्वोत्तर	0	8	0	0
16	ओडिशा	0	0	0	0
17	पंजाब	0	0	0	0
18	राजस्थान	0	0	0	0
19	तमिल नाडू	0	3	27	0
20	उत्तर प्रदेश-पूर्वी	0	0	0	0
21	उत्तर प्रदेश पश्चिमी	0	0	0	0
22	पश्चिम बंगाल	0	7	0	0
	कुल योग	39	60	56	0

अनुबंध-।।।

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वास्तविक परीक्षण में निर्धारित ईएमएफ विकिरण सीमा से अधिक विकिरण पैदा करते पाए गए बीटीएस पर लगाए गए अर्थदंड का दूरसंचार सेवा प्रदाता-वार (टीएसपी-वार) विवरण

टीएसपी के नाम	2016-17		2017-18		2018-19		01.04.2019 to 30.04.2019	
	एनसीबीटीएसका उंट	लगाए गए अर्थदंड	एनसीबीटीएसका उंट	लगाए गए अर्थदंड	एनसीबीटीएसका उंट	लगाए गए अर्थदंड	एनसीबीटीएसका उंट	लगाए गए अर्थदंड
एयरसैल/डिशनेट	1	0	4	2042463	2	4000000	0	0
एयरटेल/बीएचएल	14	0	17	5013959	23	32000000	0	0
बीएसएनएल	2	0	0	0	0	2000000	0	0
आईडिया/एबीटीएल	1	0	7	2000000	7	9000000	0	0
लूप	0	0	0	0	0	0	0	0
एमटीएनएल	0	0	0	0	0	0	0	0
रिलाईन्स	1	0	2	0	0	3000000	0	0
रिलाईन्स जीओ	5	0	5	0	12	10000000	0	0
एसएसटीएल(एमटीएस)	0	0	0	0	0	0	0	0
टीटीएसएल/टीटीएमएल/टाटा	2	0	7	1000000	0	8000000	0	0
टेलेनोर/टेलेविंगस/युनीनोर	1	0	0	0	0	3000000	0	0
विडियोकॉन	0	0	0	0	0	0	0	0
वोडाफोन	12	0	18	5000000	12	28000000	0	0
कुल योग	39	0	60	15056422	56	99000000	0	0

एनसी- अन-अनुपालन

नोटः- किसी वित्तीय वर्ष विशेष में अन-अनुपालन करने वाले बीटीएस के लिए अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्ष में पूरी की जाएगी।

***